01.08.2023:—पत्रावली पेशी हुई उभयपक्ष उपस्थित। मुल वादी—पत्र मे आपसी राजीनामे के आधार पर डिक्री हो चुका है। मूल वाद पत्र डिक्री होनें के कारण प्रार्थना—पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. वर्तमान स्तर पर ही खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डअधिकारी
हनुमानगढ़